# चित्रकूट-पुलिस

(1).
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

**(2).** आज दिनांक 02.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में "रक्तदाता पुलिस वीरों का शतक" रिक्रूट आरक्षियों द्वारा शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय पुलिस लाइन चित्रकूट में रक्तदान किया गया तथा रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री ओ0पी0 भाष्कर द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट रक्तदाताओं को बताया गया कि आपके के द्वारा प्राप्त रक्त आवश्कतानुसार रक्त की कमी वाले रोगियों तथा निरन्तर आवश्यकता वाले रोगियों जैसे थैलिसीमिया,हीमोफीलिया,सीकल सेल एनीमिया,एप्लास्टिक एमनिया,कैन्सर जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों तथा आकस्मिक आवश्यकता जैसे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ससमय बिना प्रतिस्थानी के रक्त उपलब्ध कराया जाता है।
रक्तदान शिविर के दौरान डॉ0 श्री कपिल त्रिवेदी रक्तकेन्द्र प्रभारी, डॉ0 अजय द्विवेदी रक्तकेन्द्र चिकित्साधिकारी, डॉ0 श्री शंकरदीन केन्द्र परामर्शदाता,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,पीआरओं श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/पुलिस कर्मी मौजूद रहें।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
(i). उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह मय हमराह आरक्षी प्रेम कुमार सिंह थाना पहाड़ी द्वारा केश नं0 242/23, अ0नं0 19/20 धारा 376/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मनोज पुत्र नत्थू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii).उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार राय व उ0नि0 देवेन्द्र कुमार शुक्ला मय हमराह महिला आरक्षी अनीता पटेल थाना बरगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 21/2013 धारा 380,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त हरीलाल पुत्र बड़कू कोल निवासी अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iii).व0उ0नि0 श्री शान्तनु चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 3251/2015 मु0अ0सं0 207/2015 धारा 147,447 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.होरीलाल पुत्र चुन्नीलाल उम्र करीब 52 वर्ष 2.रामप्रसाद पुत्र नत्थू निवासीगण तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iv).उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह व उ0नि0 दशरथ सिंह थाना मारकुण्डी द्वारा मु0नं0 1122/2021 मु0अ0सं0 13/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 1.प्रेमामवासी उर्फ मलेटरी पुत्र स्व0 कोदू उम्र करीब 41 वर्ष निवासी मवान टोला मजरा बम्भिया थाना मारकुण्डी 2.केश नं0 590/2021 मु0अ0सं0 04/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पवन सेन पुत्र सन्तोष सेन निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**(4).** आज दिनांक 02.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अमित कुमार श्रीवास्तव डिस्ट्रीक रोलआउट मैनेजर (iRAD/eDAR) एन0आई0सी0 चित्रकूट द्वारा विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षक द्वारा विवेचकों को सड़क दुर्घटना की फोटो ग्राफी,वीडियोग्राफी,मिट्टी सादा/खूनालूदा का संग्रहण,वाहनों के अवशेष,टॉयर मार्क,पेन्ट मार्क के साक्ष्य को एकत्र करना,दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर तकनीकी रिपोर्ट प्रेषित करना,एफआईआर यदि समुचित धाराओं में नही है तो दुरूस्तीकरण, eDAR के प्रारूप अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करना, iRAD में विवरण भरना,अन्य साक्षियों के बयान अंकित करना(चश्मदीद गवाह/समई साक्षी/स्वतंत्र साक्षी/चिकित्सक/धायलों अथवा मृतको को ले जाने वाले व्यक्तियों के/पोस्टमार्टम हेतु ले जाने वाले पुलिस कर्मियों के बयान,पंचायतनामा के गवाहान का बयान,दूर्घटना में वाहन स्वामी की भूमिका की जाँच/स्वामी का मोबाइल नं0,आर0सी0 के अनुसार सही है या नही,आरोपी चालकों के लाइसेन्स निस्तीकरण हेतु रिपोर्ट करना,यदि वाहन का मॉडिफिकेशन निर्धारित मानकों एवं नियमों के विरूद्ध किया गया है, तो उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही,दुर्घटना में संबंधित वाहनों के प्रपत्र प्राप्त करना (आरसी/इश्योरेंस/प्रदुषण/चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स/परमिट/फिटनेस इत्यादि),दुर्घटना के कारणों की समीक्षा (त्रिमोड़,खराब सड़क,अवैध कट,मादक पदार्थ का सेवन,सीटबेल्ट,हेलमेट धारण न करना,रान्ग साईड ड्राइविंग,वाहन का बाये तरफ न चलना,चालक को नींद आना,ओवरलोडिंग,वाहन चालक का अव्यस्क होना,अत्यधिक स्पीड इत्यादि),वाहन पर पूर्व में हुए चालानों की जांच करना,पूर्व में कितने चालान हुए थे,उसका विवरण,घटना स्थल पर पूर्व में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा,घटनास्थल ब्लैक स्पॉट में चिन्हित था अथवा नही,आरसी/परमिट के निलम्बन की रिपोर्ट,रिमाण्ड के समय अभियुक्त चालक ई-साक्ष्य एप्प पर आई0डी0 जनरेट करने आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया।